"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 15, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2013

क्रमांक ई-01-02/2013/एक/2.— भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 14-11-2013 के अनुसार श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. (सी.जी.-1987) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की सेवायें छ.ग. विधान सभा निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक उन्हें अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयोग के नियन्त्रणाधीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी जिला बिलासपुर पदस्थ किया जाता है.

श्री मण्डल बिलासपुर जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु की जा रही व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेंगे तथा वांछित सहयोग, सलाह एवं पर्यवेक्षण करेंगे, निर्वाचन प्रेक्षक के साथ चर्चा कर प्रभावी समन्वय करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

2. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 14-11-2013 के अनुसार श्री विकास शील, भा.प्र.से. (सी.जी.-1994) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवायें छ.ग. विधान सभा निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक उन्हें अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयोग के नियन्त्रणाधीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी जिला सरगुजा पदस्थ किया जाता है.

श्री विकास शील सरगुजा जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु की जा रही व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेंगे तथा वांछित सहयोग, सलाह एवं पर्यवेक्षण करेंगे, निर्वाचन प्रेक्षक के साथ चर्चा कर प्रभावी समन्वय करेंगे.

3. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 14-11-2013 के अनुसार श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (सी.जी.-2005) पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, उप सचिव वाणिज्यिक कर एवं आबकारी विभाग की सेवायें छ.ग. विधान सभा निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक उन्हें अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयोग के नियन्त्रणाधीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी जिला जशपुर पदस्थ किया जाता है.

श्री एस. प्रकाश जशपुर जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु की जा रही व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेंगे तथा वांछित सहयोग, सलाह एवं पर्यवेक्षण करेंगे, निर्वाचन प्रेक्षक के साथ चर्चा कर प्रभावी समन्वय करेंगे.

4. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 14-11-2013 के अनुसार श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (सी.जी.-2008) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर की सेवायें छ.ग. विधान सभा निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयोग के नियन्त्रणाधीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी जिला बलौदाबाजार पदस्थ किया जाता है और उनकी अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर के चालू प्रभार की अस्थाई तात्कालिक व्यवस्था कलेक्टर, जिला कांकेर द्वारा किया जाएगा.

श्री भीम सिंह बलौदाबाजार जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जिला प्रशासन को निर्वाचन प्रबंधन में प्रभावी समन्वय हेतु सहयोग प्रदान करेंगे.

5. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 14-11-2013 के अनुसार श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से. (सी.जी.-2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर की सेवायें छ.ग. विधान सभा निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयोग के नियन्त्रणाधीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी जिला दुर्ग पदस्थ किया जाता है और उनकी अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर के चालू प्रभार की अस्थाई तात्कालिक व्यवस्था कलेक्टर, जिला बीजापुर द्वारा किया जाएगा.

श्री समीर विश्नोई दुर्ग जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जिला प्रशासन को निर्वाचन प्रबंधन में प्रभावी समन्वय हेतु सहयोग प्रदान करेंगे.

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2013

क्रमांक ई-01-02/2013/एक/2.—भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 14-11-2013 के अनुसार श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (सी.जी.-1994) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा सचिव, (कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयोग के नियन्त्रणाधीन सौंपी जाती है.

श्री पिंगुआ रायपुर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु की जा रही व्यवस्थाओं की तैयारियों का पर्यवेक्षण करेंगे, मैदानी अधिकारियों एवं प्रेक्षकों के साथ समन्वय करेंगे तथा मतदान दिवस के घटनाक्रम पर नजर रखेंगे.

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2013

क्रमांक 4508/5479/2013/11/(6).—श्रीमती श्रुति सिंह, संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के दिनांक 09-11-2013 से 25-11-2013 तक अर्जित अवकाश पर होने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा श्री व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को श्रीमती सिंह के उक्त अवकाश अवधि में संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्रीमती श्रुति सिंह, संचालक उद्योग के अर्जित अवधि के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस आदेश का प्रभाव स्वयंमेव समाप्त माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

रा.प्र.क्र. 05 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	(1) सोनपुर	0.876	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	सोनपुर जलाशय की छुटी हुई भूमि.
		(2) तेलसरा	0.620		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

रा.प्र.क्र. 06 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	ओडगी	रैसरी	0.084	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	रैसरी जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

रा.प्र.क्र. 07 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	करतमा	2.887	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग-1, सूरजपुर.	श्याम परियोजना के फतेहर पुर अंतर्गत करतमा बाई तटपर माईनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

प्रकरण क्रमांक 05 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	नेवासपुर प.ह.नं. 41	1.851	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	नेवासपुर जलाशय अंतर्गत नहर माइनर क्रमांक-2 हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	नवापारा प.ह.नं. 6	8.174	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक-1, खरसिया जिला-रायगढ़.	साराडीह बैराज के प्रभावित क्षेत्र (डूबान) का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	गोड़िहारी	1.638	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्डी व्यपवर्तन योजना के वियर निर्माण, डुबान, एफ्लक्स बंड एवं मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सिरौली	0.998	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्डी व्यपवर्तन योजना के वियर निर्माण, डुबान, एफ्लक्स बंड एवं मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 24/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.84 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	483/2	0.06
	494	0.23
	496/2	0.19
	394	0.18
	322	0.14
	505	0.28
	313/2	0.29
	313/1	0.18
	310	0.29
योग	9	1.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनचरा (सिलपहरी) डायवर्सन केनाल निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2013

क्रमांक 23/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलपहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.07 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
479/25	0.11
479/27	0.34
488/2	0.08
489/2	0.08
479/24	0.09
479/26	0.10
484/18	0.07
479/2	0.09
479/21	0.11
488/1	0.08
479/29	0.15
479/33	0.17
479/15	0.27
479/31	0.13
479/4	0.11
479/9	0.11
449/20	0.14
479/7	0.15
479/5	0.09
479/32	0.05
477/9	0.16
477/8	0.09

(1)	(2)
477/5	0.05
477/4	0.08
463/1	0.14
475/1	0.29
475/4	0.72
467/3	0.16
467/1	0.18
467/2क	0.25
465	0.77
339/1	0.31
339/2	0.25
342	0.11
योग 34	6.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनचरा व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर (छ.ग.)

ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2013/776.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नियम 1961 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो, नीचे लिखित अनुसार दिनांक 06-01-2014 से 10-01-2014 तक होगी :—

भाग-एक

क्र.	प्रश्न पत्र	दिनांक	दिन	विषय	समय
1.	प्रथम	06-01-2014	सोमवार	संक्षेपिका तथा प्रारूप (पुस्तक रहित)	3.00 घंटे प्रात: 10.30 से 01.30 बजे
2.	द्वितीय	07-01-2014	मंगलवार	मूलभूत नियम, सिविल लेखा विनियम इत्यादि (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 10.30 से 1.00 बजे
3.	तृतीय	08-01-2014	बुधवार	लेखा परीक्षा तथा लेखा संहिताएं (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 10.30 से 1.00 बजे
4.	चतुर्थ-अ	09-01-2014	गुरुवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे प्रात: 10.30 से 12.00 बजे
5.	चतुर्थ-ब	10-01-2014	शुक्रवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (व्यावहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 10.30 से 1.00 बजे

भाग-दो

क्र.	प्रश्न पत्र	दिनांक	दिन	विषय	समय
1.	प्रथम-अ	06-01-2014	सोमवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे दोपहर 02.30 से 04.00 बजे
2.	प्रथम-ब	07-01-2014	मंगलवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यावहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे दोपहर 02.30 से 5.00 बजे
3.	द्वितीय	08-01-2014	बुधवार	भारत का संविधान (पुस्तक सहित)	3 घंटे दोपहर 02.30 से 5.30 बजे
4.	तृतीय	09-01-2014	गुरुवार	वाणिज्यिक बहीखाता (पुस्तक रहित)	2 घंटे दोपहर 02.30 से 04.30 बजे
5.	चतुर्थ	10-01-2014	शुक्रवार	स्थानीय नियम तथा लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे दोपहर 02.30 से 05.00 बजे

एन. के. शुक्ल,
संचालक.